न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 72 / 2025 / अपील / एलआरएक्ट / बारां
दायरा दिनांक 25.02.2025
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

गजानन्द पुत्र श्री मोतीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपल्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 379 तलवण्डी, कोटा

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो.

::निर्णय::

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के प्रकरण संख्या 17 / 2015 "जांच वसीयत व वारिसान मृतक मोती पुत्र श्यामा जाति मेघवाल निवासी पीपल्दा हाल अन्ता" में पारित दिनांक 24.10.2017 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी गजानन्द पुत्र मोती जाति मेघवाल निवासी पीपल्दा हाल अंता जिला बारां के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि स्व0 मोती पुत्र श्यामा जाति मेघवाल निवासी पीपल्दा तहसील मांगरोल हाल अंता के नाम ग्राम पीपल्दा तहसील मांगरोल में खाता संख्या 46 किता 11 कुल रकबा 5.68 है0 खाते दर्ज है तथा खातेदारी मोती की मृत्यु दिनांक 10.06.2015 को हो चुकी है, जिन्होनें प्रार्थी के पक्ष में वसीयत दिनांक 18.02.2011 से उक्त आराजी की करा रखी है, जिस पर प्रार्थी मृतक वसीयतकर्ता मोती के स्थान पर अपना नाम खाते में नामांतरकरण दर्ज करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में प्रश्नगत आराजी पुश्तेनी होने से गजानन्द के पक्ष में नामांतरकरण को खोला जाना उचित नहीं मानते हुए तदनुसार मोती पुत्र श्यामा का फौती इन्तकाल खोला जाने का आदेश दिनांक 24.10.2017 पारित किया गया।

25/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.10.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय, एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के पिता मोतीलाल आत्मज श्यामा जी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम पीपल्दा तहसील मांगरोल जिला बांरा में खाता संख्या 46 किता 11 कुल रकबा 5.68 हैक्टर आराजी स्थित है, जो मोतीलाल जी की स्वअर्जित आराजी है। मोतीलाल जी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 18.02.2011 को वसीयत आलेखित की गयी, जिसके गवाह अंकुर और अंकित है। उक्त वसीयत दिनांक 27. 07.15 को उप पंजीयन कार्यालय कोटा मे पंजीयन करवायी गई जिसके गवाह क्षेत्रपाल मीणा एवं दाखा बाई है। तहसीलदार मांगरोल द्वारा विधिवत जाँच करने के बाद वसीयत प्रमाणित पाये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट के पक्ष मे आदेश प्रदान नही कर सभी वारिसान के पक्ष मे इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार वसीयत करने का खातेदार को प्रावधान है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार उत्तराधिकार के नियम है, इस प्रकार वसीयत की प्रमाणितकता अपीलान्ट द्वारा सिद्ध कर देने के बावजूद भी धारा 39 के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष मे आदेश प्रदान नही कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गम्भीर त्रुटि कारित की है जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट के द्वारा वसीयत के गवाहान को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो साक्ष्य अधिनियम व उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वसीयत प्रमाणित कर देने के बावजूद भी वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक नही किया गया परन्तु उत्तराधिकार के आधार पर इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। निर्णय में पीठासीन अधिकारी, नायब तहसीलदार साहब का नाम का उल्लेख नही है अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 20.04.16 मे नायब तहसीलदार साहब के अवकाश मे होने की रिपोर्ट की है। किन्तु फिर भी नायब तहसीलदार साहब की गैर मौजूदगी मे निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे उनवान का विवरण अंकित नही है तथा विवादित इंतकाल के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होंने के बावजूद भी आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। स्वर्गीय मोतीलाल जी जो स्वर्गीय हेमराज के पिता व स्वर्गीय धन्नी बाई जो स्वर्गीय हेमराज की मां है, स्वर्गीय हेमराज अपने जीवनकाल मे अपने वृद्ध माता पिता से रोजमारपीट करता था। पुलिस थाना अन्ता में वृद्ध माता पिता ने अनेक शिकायते की थाना अन्ता ने स्वर्गीय

25/06/2025

हेमराज को कई बार समझाया पर वह नही समझा थाना अन्ता ने स्वर्गीय हेमराज के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश अन्ता मे माता पिता को मारने पीटने का चालान पेश कर दिया फिर भी वह नही माना न्यायालय ने माता पिता को मारने पीटने के अपराध मे हेमराज पर दो वर्ष की सजा सुनायी जिसका पुलिस थाना अन्ता मे रिकॉर्ड है। घर से निकालनें के सदमे माता पिता दोनो का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया फिर भी इंतकाल तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.10.17 को अपीलान्ट ने सशपथ अधीनस्थ न्यायालय मे नायब तहसीलदार मांगरोल को यह तथ्य बताया था कि इन्द्रा बाई ने हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्वर्गीय हेमराज के साथ विधिवत विवाह रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पेश नहीं करने के कारण इन्द्राबाई स्वर्गीय मोतीलाल की उत्तराधिकारी का दावा झूठा व निराधार है फिर भी हल्का पटवारी ने इन्द्राबाई से मिलकर स्वर्गीय मोतीलाल का वारिस बना दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। इस प्रकार तहसीलदार बांरा द्वारा वसीयत की प्रमाणितकता मानने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के विपरीत आराजी को पैतृक होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष मे इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खातेदार मोती के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में की गई थी। तहसीलदार, बारां का आदेश जिसमें इसी वसीयत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक हुआ है। अपीलार्थी की बहनों ने भी अपीलार्थी के पक्ष मे बयान दिये। खातेदारी मोती अपने जीवनकाल में वसीयत करके गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय में मृतक हेमराज के वारिसान नाबालिग जरिये वली माता इन्द्राबाई व इन्द्राबाई ने उक्त वसीयत पर आपत्ति पेश की गई, जबकि रजिस्टर्ड वसीयत से आपत्ति है तो दावा किया जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण अपीलार्थी के पक्ष में नहीं खोलकर वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मानते हुए फौती इन्तकाल खोले जाने का आदेश दिनांक 24.10.2017 पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाते हुए अपीलान्ट के पक्ष मे इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

25/06/2025
आयुक्त

5. रेस्पो0 सरकार के द्वारा वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फोती इन्तकाल खोले जाने का आदेश को उचित होना प्रकट किया गया।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि पुश्तैनी होने से गजानन्द के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतरकरण नहीं खोला गया। अपीलांट द्वारा पुश्तैनी भूमि के खण्डन के संबंध में कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथा ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। पुश्तैनी भूमि का होना जमाबंदी से सिद्ध होता है। साथ ही अपीलांट द्वारा अन्य वारिसान को प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं बनाने से **Non joinder of Parties** का नुक्स भी प्रकट होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा